

रिपोर्ट करने योग्य

भारत के उच्चतम न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

**2023 की सिविल अपील संख्या 2052**

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम  
लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) और अन्य ... अपीलकर्ता

बनाम

मेसर्स हनीवेल इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

...उत्तरदाता

के साथ

**2023 की सिविल अपील संख्या 2126**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2108**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2111**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2097**

**सिविल अपील संख्याएँ 2023 की 2135-2136**

(एसएलपी (सिविल) संख्या 6260-6261/2023 @

डायरी संख्या 26393/2017 से उत्पन्न)

**2023 की सिविल अपील संख्या 2142**

(एसएलपी (सिविल) संख्या 6282/2023 @

डायरी संख्या 29328/2017 से उत्पन्न)

**2023 की सिविल अपील संख्या 2139**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6278/2023 @**

**डायरी संख्या 29500/2017 से उत्पन्न)**

**सिविल अपील संख्या 2023 की 2140**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6279/2023 @**

**डायरी संख्या 29503/2017 से उत्पन्न)**

**सिविल अपील संख्या 2023 की 2144**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6285/2023 @**

**डायरी संख्या 31241/2017 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2146**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6289/2023 @**

**डायरी संख्या 31266/2017 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2145**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6287/2023 @**

**डायरी संख्या 31272/2017 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2152**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6301/2023 @**

**डायरी संख्या 21383/2019 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2129**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2128**

**सिविल अपील संख्या 2023 की 2130**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2131**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2153**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6302/2023 @**

**डायरी संख्या 29459/2019 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2127**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2155**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6304/2023 @**

**डायरी संख्या 30171/2019 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2156**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6305/2023 @**

**डायरी संख्या 30697/2019 से उत्पन्न)**

**सिविल अपील संख्या 2023 की 2154**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6303/2023 @**

**डायरी संख्या 31327/2019 से उत्पन्न)**

**सिविल अपील संख्या 2023 की 2151**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6298/2023 @**

**डायरी संख्या 33156/2019 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2133**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2134**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2132**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2062**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2063**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2071**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2084**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2085**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2086**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2090**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2088**

**2023 की सिविल अपील संख्याएँ 2098-2105**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2137**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6265/2023 @**

**डायरी संख्या 22444/2017 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2150**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6293/2023 @**

**डायरी संख्या 28982/2017 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2138**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6276/2023 @**

**डायरी संख्या 29502/2017 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2143**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6284/2023 @**

**डायरी संख्या 30833/2017 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2119**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2148**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6291/2023 @**

**डायरी संख्या 31247/2017 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2147**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6290/2023 @**

**डायरी संख्या 31257/2017 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2118**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2141**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6280/2023 @**

**डायरी संख्या 33385/2017 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2124**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2122**

**2023 की सिविल अपील संख्याएँ 2114-2117**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2113**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2123**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2121**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2125**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2157**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6306/2023 @**

**डायरी संख्या 10677/2018 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2056**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2059**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2058**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2068**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2073**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2078**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2079**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2065**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2067**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2072**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2077**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2082**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2053**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2055**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2064**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2070**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2057**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2083**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2106**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2094**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2095**  
**2023 की सिविल अपील संख्या 2089**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2092**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2093**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2087**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2091**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2109**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2110**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2112**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2120**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2149**

**(एसएलपी (सिविल) संख्या 6292/2023 @**

**डायरी संख्या 31499/2017 से उत्पन्न)**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2054**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2060**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2074**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2061**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2080**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2081**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2066**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2075**

**2023 की सिविल अपील संख्या 2076**

2023 की सिविल अपील संख्या 2096  
2023 की सिविल अपील संख्या 2069  
2023 की सिविल अपील संख्या 2107

## निर्णय

एम. आर. शाह, जे.

1. सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 4015/2006 में पारित आक्षेपित आम (कॉमन) निर्णयों और आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि संबंधित भूमि के संबंध में अधिग्रहण/अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार (इसके बाद 'अधिनियम 2013' के रूप में संदर्भित), की धारा 24(2) के तहत समाप्त हो गई है, हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (संक्षेप में, 'एचएसआईआईडीसी') और हरियाणा राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है। कुछ अपीलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित संबंधित निर्णयों और आदेशों को चुनौती दी गई है जिसमें यह घोषणा की गई है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत माना गया है।



2. शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपीलों के वर्तमान समूह को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात्, (1) उच्च न्यायालय के समक्ष संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ता जैसे सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4015/2006 और अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में, 'अधिनियम, 1894') के तहत कई आधारों पर अधिग्रहण की कार्यवाही को भी चुनौती दी, और (2) रिट याचिकाएँ जो केवल इस घोषणा के लिए दायर की गई थीं कि विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के तहत व्यपगत/ समाप्त माना जाता है (डीम्ड टू हैव लैप्सड), जिसमें अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी गई थी।

सिविल अपील संख्याएँ

2052/2023,	2108/2023,	2111/2023,
2097/2023,	2144/2023,	2146/2023,
2145/2023,	2129/2023,	2153/2023,
2062/2023,	2063/2023,	2071/2023,
2084/2023,	2085/2023,	2086/2023,
2090/2023,	2088/2023,	2148/2023,
2147/2023,	2056/2023,	2059/2023,
2058/2023,	2068/2023,	2073/2023,
2078/2023,	2079/2023,	2065/2023,
2067/2023,	2072/2023,	2077/2023,
2082/2023,	2053/2023,	2055/2023,
2064/2023,	2070/2023,	2057/2023,
2083/2023,	2106/2023,	2094/2023,

2095/2023, 2089/2023, 2092/2023,  
2093/2023, 2087/2023, 2091/2023,  
2109/2023, 2110/2023, 2054/2023,  
2060/2023, 2074/2023, 2061/2023,  
2080/2023, 2081/2023, 2066/2023,  
2075/2023, 2076/2023, 2096/2023,  
2069/2023, 2107/2023, 2126/2023,  
2140/2023, 2152/2023, 2130/2023,  
2131/2023, 2133/2023, 2134/2023,  
2132/2023, 2098- 2105/2023,  
2150/2023, 2138/2023, 2143/2023,  
2119/2023, 2141/2023, 2122/2023,  
2114-2117/2023, 2113/2023, 2121/2023,  
2157/2023, 2120/2023 और 2149/2023  
(कुल 80 मामले)

3. इन सभी अपीलों में, मुद्दा प्रथम श्रेणी से संबंधित है, अर्थात्, जहां उच्च न्यायालय के समक्ष, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण/अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दी थी, जो कि, इस प्रकार, अधिनियम, 2013 के लागू होने से बहुत पहले दायर की गई थी और अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण की डीम्ड लैप्स की राहत (समझी/मानी गई व्यपगत/ समाप्ति की राहत) के लिए संशोधन आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किए गए थे कि न तो कब्जा लिया गया था और न ही मुआवजे का भुगतान/पेश किया गया था। अन्य आधारों पर गुणों के आधार पर रिट याचिकाओं

का निर्णय किए बिना, विशेष रूप से उन आधारों पर जिन पर अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण/अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी, केवल पुणे नगर निगम बनाम हरकचंद मिस्रीमल सोलंकी, (2014) 3 एससीसी 183 में रिपोर्ट की गई, के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करते हुए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं की अनुमति दी है और घोषित किया है कि विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत/ समाप्त माना जाता है (डीम्ड टू हैव लैप्सड)।

सिविल अपील संख्याएँ 2135-2136/2023, 2142/2023 , 2139/2023 , 2128/2023, 2127/2023, 2155/2023, 2156/2023, 2154/2023, 2151/2023, 2137/2023, 2118/2023, 2124/2023, 2123/2023, 2125/2023 और 2112/2023 (कुल 15 मामले)

4. ये सभी अपीलें अन्य श्रेणी में आती हैं, अर्थात्, जिसमें केवल अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत राहत मांगी गई थी, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं को अनुमति दी है और घोषित किया है कि प्रश्रगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत/ समाप्त माना जाता है (डीम्ड टू हैव लैप्सड), जो केवल पुणे नगर निगम (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है।

5. जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय (निर्णयों) और आदेश (आदेशों) का संबंध है, जिसमें यह घोषणा

है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के तहत व्यपगत/ समाप्त माना जाता है (डीम्ड टू हैव लैप्सड), का संबंध है, इन्दौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल व अन्य आदि के मामले में संविधान पीठ के निर्णय, **(2020) 8 एससीसी 129** में प्रतिवेदित, के आलोक में रिट याचिकाओं में जो कि केवल ऐसी राहत के लिए दायर की गई थी और जो अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद में दायर की गई थी का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के तहत राहत प्रदान करने वाले विवादित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है।

कुछ मामलों में, मूल रिट याचिकाकर्ताओं, जिनकी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि कब्जा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी, उन्होंने विवाद किया कि उनके मामलों में वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं लिया गया था। हालांकि, अधिग्रहण करने वाले निकाय/लाभार्थी द्वारा लिए गए विशिष्ट स्टैंड (रुख) और इस न्यायालय द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण (पूर्वोक्त) के मामले में निर्धारित कानून के मद्देनजर, कुछ मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया यह निवेदन कि कब्जा रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी और इसलिए वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया था, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

6. यहां तक कि सीडब्ल्यूपी संख्या 4015/2006 के संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं और अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील - सीडब्ल्यूपी संख्या 4015/2006

में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों और आदेशों से उत्पन्न सिविल अपीलों में प्रतिवादीगण, ने निष्पक्ष रूप से/स्वच्छता से स्वीकार किया है (fairly conceded) कि इंदौर विकास प्राधिकरण (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, अधिनियम 2013 की धारा 24 (2) के तहत राहत प्रदान करने वाला उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है। तथापि, यह प्रार्थना की जाती है कि चूंकि उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण/अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाले अन्य आधारों पर गुणों के आधार पर विचार नहीं किया है, यद्यपि यह रिट याचिकाओं की विषय वस्तु थी और केवल अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अधीन व्यपगत / समाप्त समझे जाने पर ही (डीमंड लैप्स) रिट याचिकाओं का निपटान किया है, अतः अन्य आधारों पर अर्थात् अधिनियम, 1894 के अधीन अधिग्रहण/अधिग्रहण की कार्यवाही को गुण-दोष के आधार पर चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने की आवश्यकता है। हालाँकि, एचएसआईआईडीसी और हरियाणा राज्य की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि एक बार जब भू-स्वामियों / रिट याचिकाकर्ताओं के संबंध में, प्रश्रुगत भूमि का कब्जा पहले ही ले लिया गया है और यहां तक कि मुआवजे का भुगतान / जमा कर दिया गया है तो अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण/अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द करने और अपास्त करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, योग्यता के आधार पर अन्य मुद्दों पर विचार करते समय उक्त पहलू पर उच्च न्यायालय

द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है, विशेष रूप से अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही को दी गयी चुनौती को।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त कारणों से, इस निर्णय के पैरा 3 के अनुसार सभी सिविल अपीलों को, सीडब्ल्यूपी नं. 4015/2006 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णयों और आदेशों से उत्पन्न होने वाली सभी सिविल अपीलों और अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय (निर्णयों) और आदेश (आदेशों), जिसमें यह घोषणा की गई थी कि विवादित भूमि के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत/ समाप्त माना जाता है (डीम्ड टू हैव लैप्सड), को एतद्वारा रद्द और अपास्त किया जाता है। तथापि, मुख्य रिट याचिकाओं को नए सिरे से कानून के अनुसार और अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) की प्रयोज्यता को छोड़कर अन्य मुद्दों पर उनके गुण-दोष के आधार पर निपटाने के लिए मामले उच्च न्यायालय को वापस भेजे जाते हैं। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह जल्द से जल्द और अधिमानतः वर्तमान आदेश की प्राप्ति की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर, रिमांड पर भेजी गयी (प्रतिप्रेषित) रिट याचिकाओं पर, अंतिम रूप से निर्णय लें और उनका निपटारा करें। सभी तर्क और प्रतिवाद जो संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध हैं, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार और उनकी अपनी योग्यता के आधार पर विचार करने के लिए खुला रखा गया है (अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) की प्रयोज्यता को प्रस्तुत करने को छोड़कर)।

8. जहां तक इस फैसले के पैरा 4 में उल्लिखित सिविल अपीलों का संबंध है, इन सभी अपीलों को स्वीकार किया जाता है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों और आदेशों, जिसमें यह घोषणा की गई है कि विवादित भूमि के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत/ समाप्त (डीमड टू हैव लैप्सड) माना जाता है, को रद्द और अपास्त/निरस्त किया जाता है। उन मामलों में भी अधिग्रहण की व्यपगति/ समाप्ति (डीमड लैप्स) नहीं मानी जाएगी जैसा कि उच्च न्यायालय ने अवलोकित और अभिनिर्धारित किया।

9. उपरोक्त के अनुसार वर्तमान अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

.....जे. [एम. आर. शाह]

.....जे. [सी.टी. रविकुमार]

नई दिल्ली

11 अप्रैल, 2023

*अस्वीकरण:— स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*